UPAL010106752023

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, जिला अलीगढ।
पीठासीन अधिकारी– श्री संजीव कुमार, (उच्चतर न्यायिक सेवा)
(JOCODE-UP5466)

प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र संख्या 5183 सन् 2023

चन्द्रपाल शर्मा पुत्र ओम प्रकाश शर्मा निवासी मढा वाली गली शास्त्री नगर नौरंगाबाद, थाना गांधीपार्क, जिला अलीगढ़।

.....प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....अभियोजक

जमानत प्रार्थना–पत्र का निस्तारण

दिनांकः 20–09–2023

यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र प्रार्थी/अभियुक्त चन्द्रपाल शर्मा पुत्र ओम प्रकाश शर्मा की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 318/2023 अन्तर्गत धारा 376, 506 भारतीय दण्ड संहिता व धारा 67ए. आई.टी. एक्ट थाना गांधीपार्क, जिला अलीगढ के मामले में जमानत प्रदान करने हेतु प्रस्तुत किया गया है।

संक्षेप में अभियोजन केस निम्न प्रकार है कि वादिनीमुकद्मा फूल कुमारी ने थाना गांधीपार्क, जिला अलीगढ़ पर दिनांक 08–06–2023 को प्राथमिकी दर्ज करायी गयी जिसके अनुसार वह चन्द्रपाल की शास्त्री नगर की फैक्ट्री में बतौर कर्मचारी कार्य करती थी। चन्द्रपाल ने 4–5 बार पहले उसे नौकरी का लालच देकर उसका शारीरिक शोषण किया था। चन्द्रपाल उसकी अश्लील वीडियों बनाकर उसे ब्लैकमेल करने लगा उसके मना करने पर चन्द्रपाल, अंकित अग्रवाल तथा कविता अग्रवाल तीनों ने उसकी अश्लील वीडियो वायरल कर दी और उसे धमकी दी कि अगर पुलिस में गयी तो जान से मार देंगे। वादिनी की सूचना पर धारा 376, 506 भारतीय दण्ड संहिता व धारा 67ए. आई.टी. एक्ट में प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रार्थी/अभियुक्त व अन्य सह अभियुक्तगण के विरूद्व दर्ज हुई। विवेचक द्वारा एकत्र साक्ष्य के आधार पर न्यायालय में आरोपपत्र प्रेषित किया गया।

.....P.T.O.

Digitally signed by SANJEEV KUMAR
Date: 2023.09.20 16:19:27 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से मुख्य रूप से कहा गया है कि वह निर्दोष हैं तथा उसे झूठा फंसाया गया है। वास्तविकता यह है कि वादिनी विगत 14 वर्षो से उसके साथ लिव–इन–रिलेशन में अलग घर लेकर रह रही है और वादिनी ने उसके कारखाने में कभी भी कर्मचारी के रूप में कार्य नहीं किया और वादिनी हमेशा कारखाना मालिक के रूप में कार्य देखती थी। वादिनी के बयान धारा 161 व 164 दण्ड प्रक्रिया संहिता में घटना का समय व तिथि अंकित नहीं है तथा पीड़िता की मेडीकल रिपोर्ट में भी पीड़िता के साथ कोई जबदस्ती किये जाने का कथन नहीं है और न ही स्लाइड पर किसी भी आदमी का शुक्राणु पाया जाना अंकित नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है वह दिनांक 09–06–2023 से जेल में निरूद्व है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया जाये।

इसके विपरीत अभियोजन की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) ने जमानत प्रार्थनापत्र का विरोध करते हुए कथन किया गया के पीड़िता के साथ बलात्कार व पीड़िता की अश्लील वीडियों बनाकर वायरल करने का गम्भीर अपराध कारित किया गया है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किया जाये।

प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) के तर्क सुने तथा सम्बन्धित पत्रावली, केस डायरी एवं उपलब्ध प्रपत्रों का परिशीलन किया।

प्रस्तुत मामले में प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्व वादिनी/पीड़िता को नौकरी का लालच देकर उसके साथ बलात्कार करने और उसका अश्लील वीडियों बनाकर ब्लैकमेल करना व सह अभियुक्त के साथ मिलकर अश्लील वीडियों वायरल करने का अभियोग है। केसडायरी व अभियोजन प्रपत्रों के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादिनी/पीड़िता ने धारा 161 दण्ड प्रक्रिया संहिता के बयान में घटना का समर्थन किया है और कहा है कि प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा उसे अच्छी नौकरी का लालच देकर उसके साथ शारीरिक सम्बन्ध बनाये और उसका अश्लील वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल किया। धारा 164 दण्ड प्रक्रिया संहिता के बयान में भी पीड़िता ने घटना का समर्थन किया है और कहा है कि प्रार्थी/अभियुक्त ने उसे नौकरी का लालच देकर उसका शारीरिक शोषण किया है और उसका अश्लील वीडियों बनाकर सह अभियुक्त के साथ मिलकर उसे वायरल किया। विवेचक द्वारा साक्ष्य एकत्र करने के उपरान्त न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया जा चुका है। मामला नौकरी का लालच देकर पीड़िता के साथ जबरदस्ती बलात्कार करने और उसका अश्लील वीडियो बनाकर सह अभियुक्त के साथ मिलकर वायरल करने का गम्भीर अपराध है।

.....P.T.O.

मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थतियों के दृष्टिगत अपराध की गम्भीरता को देखते हुए उसे जमानत पर रिहा किये जाने का आधार पर्याप्त नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थी/अभियुक्त **चन्द्रपाल शर्मा** का जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किया जाता है।

दिनांकः 20–09–2023

(संजीव कुमार)
सत्र न्यायाधीश,
अलीगढ़।

टाइपकर्ताः राज कुमार सक्सैना,
आशुलिपिक